हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर , जयपुर
Website:www.samtaandolan.in Email :samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण
प्रदेश अध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

रामनिरंजन
प्रदेश महासचिव (पदेन संरक्षक)

ललित चाचाण
प्रदेश कोषाध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

श्री राम नारायण धाणका
संरक्षक
मो. 9829069242

कालू लाल भील
प्रदेशाध्यक्ष
मो. 7726914880

डॉ. नारायण लाल निनामा
महासचिव
मो. 9982556464

लक्ष्मीनारायण धाणका
महासचिव
मो. 9950750063

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष

अजमेर :
आनन्दी लाल डाबी
मो. 9414212600

बीकानेर :
मदन लाल भील
मो. 9829020737

भरतपुर :
रामजी लाल कोली
मो. 9414689980

जयपुर :
रतन कुमार सिंह घाणका
मो. 9413609242

जोधपुर :
सुखदेव भील
मो. 9928341925

कोटा :
हरिशंकर भील
मो. 9928746005

उदयपुर:
सुरेश लक्खा

क्रमांक 14337–881 दिनांक : 09.12.2019

श्रीमान्.....।
लोकसभा सांसद(अजा/अजजा)
नई दिल्ली।

विषय– विधायिका में जातिगत आरक्षण दस वर्ष बढ़ाते वक्त सीटों का आरक्षण बन्द करवाकर पार्टी टिकटों में आरक्षण करवाने हेतु आग्रह।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि अनुच्छेद–334 में जो 10 वर्ष के लिए अजा/अजजा को लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिया गया था इसे बिना किसी समीक्षा के संसद द्वारा जातिगत दबावोंमें अविधिक रूप से बार–बार बढ़ाते हुए 70 वर्ष तक बढ़ाया जा चुका है जिसके कारण भारत देश की करोड़ों अजा/अजजा जनसंख्या को भारी नुकसान हो रहा है। अब संसद द्वारा पुनः यही गलती दोहराने की तैयारी की जा रही है। कृपया निम्न तथ्यों का अवलोकन करें–

(1) सीटों का आरक्षण देश के बड़े भाग में अजा/अजजा के राजनेतिक नेतृत्व को आगे बढ़ने से रोक रहा है। लोकसभा में कुल 543 में से 131 सीटों पर आरक्षण मिलने से कोई भी राजनेतिक दल शेष रही 412 सीटों पर अजा/अजजा के ऊर्जावान राजनेताओं को अपनी टिकिट देने की हिम्मत नहीं करता। इन अनारक्षित सीटों के मतदाता भी यहाँ से अजा/अजजा को टिकिट देने का विरोध करते हैं। इसी कारण से 70 वर्षों से आरक्षण मिलने के बाबजूद भी लोकसभा की 412 सीटों पर अजा/अजजा वर्ग के योग्य, जुझारू और राष्ट्रवादी नेता राष्ट्रीय स्तर पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही हाल राज्यों की विधानसभाओं में है जहां अधिकांश चुनाव क्षेत्रों में अजा/अजजा वर्ग को आज तक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है।

(2) सीटों के आरक्षण से आजादी के 72 वर्षों बाद भी अजा/अजजा का राष्ट्रीय नेतृत्व केवल 200 परिवारों में सिमटा हुआ है और राज्य स्तरीय नेतृत्व मुश्किल से 2–3000 परिवारों में सिमटा हुआ है जबकि देश में अजा/अजजा की जनसंख्या आज लगभग 28 करोड़ हैं।

(3) सीटों के आरक्षण से इन पर निर्वाचित होकर आने वाले सांसद और विधायक आपाधापी में लग जाते हैं। वास्तविक पिछड़े, वांचित, दलित तबके पर ध्यान देना बन्द कर देते हैं। लगभग सभी आरक्षित राजनेता इस नीति पर भी चल रहे हैं कि इनके क्षेत्र का कोई आरक्षित व्यक्ति आगे ना बढ़ जाये। वे उन्हें हर तरह से पिछड़ा और कमजोर रखने का ही प्रयास करते हैं ताकि कोई आगे बढ़कर उनके लिए खतरा ना बन जाये। इसी लिए आप देख सकते हैं कि अजा/अजजा के सांसद और विधायक जहाँ करोड़पति अरबपति बन गये है वहीं उनके क्षेत्र के ही अजा/अजजा की जनसंख्या बहुतायत में पिछड़ी, वंचित और दलित ही पड़ी है।

(4) सीटों का आरक्षण प्रजातंत्र का मजाक है, अविधिक है, असंवेधानिक है। प्रजातंत्र में किसी भी मतदाता को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। जबकि भारत में आरक्षित सीटों वाले क्षेत्रों में करोड़ों मतदाताओं को बिना किसी अपराध के केवल जातिगत आधार पर उनके स्वयं के क्षेत्र में चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धान्त के विरूद्ध है। पूरी तरह अविधिक हैं।

(कृ.प.उ)

(5) सीटों का आरक्षण जातिगत भेदभाव और जातिवादी राजनीति को बढ़ाने वाला है। आरक्षित सीटों पर जीतकर आने वाले सांसद/विधायक अपने निजी स्वार्थ और राजनीति के कारण जातिवादी राजनीति करते हैं। अपने अजा/अजजा वर्ग को अकारण ही गैर– अजा/अजजा नागरिकों से डरा कर रखते हैं ताकि उनकी राजनेतिक रोटियाँ सिकती रहें। ऐसे कृत्यों से देश में समरसता, सद्भाव सहअस्तित्व समाप्त हो रहा है। इस घृणित जातिवादी राजनीति के बढ़ते दुष्प्रभाव से देश तेज गति से जातिगत गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। सत्तर साल पहले की अपेक्षा आज जातिगत भेदभाव और जातिवादी राजनीति चरम् पर हैं।

(6) सीटों का आरक्षण ही भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रवादी पार्टियों को जातिवादी राजनेताओं के समक्ष समर्पण कर देने को मजबूर कर रहा है। ये दल अपने ही दल के अच्छे, तेजस्वी, राष्ट्रवादी अजा/अजजा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में लाचार हो रहे हैं। चुनिन्दा आरक्षित सीटों के चुनिन्दा अजा/अजजा नेता इतने अरबपति, सशक्त और दबंग हो चुके हैं कि ये किसी भी सरकार को ब्लैकमेल करने की स्थिती में है। इसलिये देश में विकासवादी राजनीति के बदले जातिवादी राजनीति हावी होती जा रही है।

(7) यह सर्वविदित तथ्य है कि इस देश के 130 करोड़ नागरिकों में से केवल 2–3000 अजा/अजजा वर्ग के सांसदों/विधायकों को छोड़कर सभी 130 करोड़ नागरिक विधायिका में जातिगत आरक्षण के विरूद्ध हैं। लेकिन पूरी संसद और सभी राजनेतिक दल अजा/अजजा के उपरोक्त चुनिन्दा जातिवादी राजनेताओं के आगे लाचार हैं और बार–बार अनुच्छेद–334 में दिये गये जातिगत आरक्षण को बिना किसी समीक्षा के, बिना किसी बदलाव के पुनः दस वर्ष बढ़ाने को विवश हैं। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में सर्वोच्च सदन की ऐसी लाचारी और विवशता हमें बेहद खतरनाक परिणामों की ओर धकेल रही है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया अनुच्छेद–334 में विधायिका में अजा/अजजा के लिए आरक्षण दस वर्ष समय सीटों का आरक्षण की जगह पार्टी–टिकटों का आरक्षण करवायें अर्थात सीटों का आरक्षण बन्द करवा कर मान्यता प्राप्त पार्टियों को पाबन्द करवायें कि वे निर्धारित प्रतिशत पार्टी–टिकटें अजा/अजजा को देवें, चाहे कही से भी देवें। इनके सामने कोई भी नागरिक चुनाव लडने को स्वतंत्र हों। ऐसा प्रावधान होने से उपरोक्त सभी दुःखदायी परिणाम बन्द होंगे। अजा/अजजा में पूरे देश में राष्ट्रवादी नेतृत्व उभर पायेगा। देश में समरसता बढ़ेगी। जातिवादी राजनीति की जगह विकासवादी राजनीति होगी। जातिवाद खत्म होगा। देश का प्रजातन्त्र मजबूत और संविधान सम्मत होगा। जातिवादी राजनीति और दबाब के जरिये संसद के अधिकारों का दुरूपयोग करवाकर 130 करोड़ राष्ट्रवादी नागरिकों के अधिकारों की हत्या करना संसदीय हिंसा है। कृपया इसे रोकें। सादर,

भवदीय

कालूलाल

कालूलाल भील

प्रतिलिपि– श्रीमान्.....अनारक्षित लोकसभा/राज्यसभा सांसद महोदय को भेजकर प्रार्थना है कि कृपया आपके साथी आरक्षित सांसदों को उपरोक्त ज्ञापन पढ़ाये, इन बिन्दुओं पर संसद में बहस करवायें। दस साल जातिगत आरक्षण विधायिका में बढ़ाते समय राष्ट्रहित में सीटों का आरक्षण बन्द करवाकर पार्टी टिकटों में आरक्षण का प्रावधान करवायें। सादर,